प्रशासनिक आदेश सं0– 42 दिनांक– 26.04.2021

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के नोटिफिकेशन सं0–162/UHC/Admin.B/2021 dated 25-04-2021 के अनुपालन में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वादकारियों/अधिवक्ताओं/न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु जनपद न्यायालय, बागेश्वर एवं वाह्य न्यायालय, गरूड़ दिनांक–26.04.2021 से 02.05.2021 तक बंद रहेंगे।

2. उक्त अवधि में न्यायालयों द्वारा केवल रिमाण्ड तथा जमानत संबंधी प्रार्थना पत्रों पर ही सुनवाई की जायेगी।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में अतिआवश्यकीय मामले जो कि 03.05.2021 से पहले सुने जाने आवश्यक हैं, उनकी सुनवाई वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी, किंतु इन अतिआवश्यकीय मामलों में संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त मामले अतिआवश्यकीय है तथा इसकी सुनवाई न्यायालय बंद होने के बावजूद भी दिनांक–03.05.2021 तक नहीं टाली जा सकती।

4. समस्त अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को सूचित किया जाता है कि समस्त प्रार्थना पत्र (जमानत, रिमाण्ड एवं अन्य अतिआवश्यकीय प्रार्थना पत्र) बागेश्वर जजशिप की अधिकारिक बेवसाइट District Court Bageshwar पर उपलब्ध पृथकतः न्यायालयों हेतु बनायी गयी ई–मेल आईडी पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

5. सिस्टम असिस्टेंट को आदेशित किया जाता है कि वह जनपद न्यायालय बागेश्वर के समस्त न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालय गरूड़ हेतु पृथकतः ई–मेल अकाउंट बनाकर जनपद बागेश्वर की अधिकारिक बेवसाइट पर उचित रूप से दर्शित करना सुनिश्चित करें।

6. श्री कुलदीप शर्मा, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, (कम्प्यूटर) को वीडियो कॉफ्रेंसिंग द्वारा किये जाने वाले कार्यों हेतु नामित किया जाता है। सिस्टम असिस्टेंट को आदेशित किया जाता है कि वह जनपद न्यायालय बागेश्वर की अधिकारिक बेवसाइट पर श्री कुलदीप शर्मा, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, (कम्प्यूटर) का मोबाइल नम्बर दर्शित करें, ताकि उपरोक्त कार्य के संबंध में कोई सूचना अधिवक्तागण द्वारा प्राप्त की जा सके।

7. उपरोक्त अवधि में न्यायालय बंद रहने के दौरान यदि कोई अतिआवश्यकीय मामले की सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र ई–मेल द्वारा प्रस्तुत होता है, तो उस पर मेरे द्वारा निर्णय लिया जायेगा। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त मामला न्यायालय बंद रहने के दौरान भी सुना जाना आवश्यक है, तो उक्त मामले को संबंधित न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा।

8. उपरोक्त वर्णित समस्त मामले मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के नोटिफिकेशन सं0–156, दिनांक–13.04.2021 मय शुद्धि पत्र दिनांक–15.04.2021 में दिए गए निर्देशानुसार वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सुने जायेंगे।

तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित किया जावे।

26-4-2021

जिला न्यायाधीश, बागेश्वर।